


Date of Application 06.07.12 Date of Filing 06.07.12 Date of Ready 06.07.12 Date of Delivery 07.07.12

CP No - 299

आदेश

6/7/2012.

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद आवेदक/आवेदिका श्री. सरोज कुमार मिश्रा पिता/पति स्व० राधानाथ मिश्रा साकिन बहरवा थाना सिकंदरा जिला जमुई द्वारा दाखिल आवेदन पर प्रारम्भ किया गया। अवेदक/आवेदिका मौजा श्यामराज कास्तर टाउन थाना सं० 413 जमाबन्दी संख्या 116/3278 रकवा 3400 वर्गफीट



का नामान्तरण हेतु आवेदन दाखिल की है। दाखिल आवेदन के आधार पर सम्बन्धित हल्का कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक से स्थानीय वो राजस्व अभिलेखों का जाँच कराकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् सोलह आना रैथत को आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। हल्का कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन तथा दाखिल कागजात के अनुसार आवेदक/आवेदिका द्वारा नामान्तरण हेतु प्रस्तावित जमीन निबन्धित केवाला संख्या 480 दिनांक 21.5.12 द्वारा प्राप्त शांतिपूर्ण दखलकार है। विषयगत जमीन बसोड़ी सत्व की है तथा भू-दान, लीज एवं भू-हदबन्दी से मुक्त है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक विषयगत जमीन का नामान्तरण आवेदक/आवेदिका के नाम से स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की है एवं अंचल अमीन ने भी नामान्तरण की अनुशंसा की है।

अतः हल्का कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक की अनुशंसा, निबन्धित केवाला, शांतिपूर्ण दखलकार एवं अनापत्ति के आधार पर मौजा श्यामराज कास्तर टाउन थाना सं० 413, जमाबन्दी सं० 116/3278, दाय नं० T.P.P. No. 914, 915 रकवा 3400 वर्गफीट का नामान्तरण आवेदक/आवेदिका श्री. सरोज कुमार मिश्रा पिता/पति स्व० राधानाथ मिश्रा साकिन बहरवा थाना सिकंदरा जिला जमुई के नाम से स्वीकृत की जाती है। अनुशंसित लगान 12.00 (दसह) रु० अलावे सेस वसूलनीय होगा। आवेदक/आवेदिका से 5=00 (पाँच सपत्ते) रुपये ना० शुल्क प्राप्त करें। कार्यवाह सहायक शुद्धि पत्र निर्गत करें तथा अनुपालन हेतु हल्का कर्मचारी को हस्तगत करावें।

टंकित कराया एवं शुद्ध किया।

[Signature]
अंचल अधिकारी,
देवघर।

[Signature]
अंचल अधिकारी,
देवघर।

सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि
[Signature]
प्रधान सहायक
अंचल कार्यालय, देवघर
1872 के अधिनियम 1 की धारा
76 के अन्तर्गत प्रमाणित।

Attested

नकल किया
[Signature]
07.07.12

मिलान किया
[Signature]
7/07/12

[Signature]
Manoj Kumar Mishra
Notary Public
Deoghar (Jharkhand)